न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा०खा०अपील वाद सं० – 121/2019-2020

अपीलकर्त्ता/वादी - सुधीर कुमार भगत बनाम अंचल अधिकारी, खूँटी/लखीचरण राम वै०/प्रतिवादी

01/07/21

आदेश

यह वाद आवेदक सुधीर कुमार भगत पिता मदन भगत ग्राम मुरहू थाना मुरहू थाना मुरहू जिला खूँटी ने अंचल अधिकारी, खूँटी के दाखिल खारिज वाद संख्या – **389 R27/2019–2020** में दिनांक **03.09.2019** को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

भूमि का विवरण :-

ग्राम	थाना/थाना न.	खाता सं.	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
एरेण्डा	खूँटी /240	41	11	0.24

प्राप्त आवेदन के आलोक मे वाद दायर कर विधिवत् संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर उनसे अपने पक्ष में कारण पृच्छा एंव कागजातों/जबाब की मांग की गयी। प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित आवेदन/एवं अपने पक्ष में कागजात दाखिल किया गया है।

प्रश्नगत् मामले में सभी संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामान्तरण मुकदमा संख्या 389/R27/2019 – 2020 दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश मे आवेदित प्लॉट सं0 11 के विरूद्ध संजय रूंडा पिता जेठा रूंडा के द्वारा लिखित आपत्ति पत्र दिया है उक्त आलोक में आवेदित प्लॉट विादित प्रतीत होता है उल्लेख कर नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष ने इस न्यायालय में अपील आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए नमन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। परन्तु यह वाद U/S 5 of the Limitation Act 1963 के अंतर्गत कालबाधित पाया गया आवेदक ने Section 5 के तहत आवश्यक कारण दर्शाते हुए आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया है उक्त U/S 5 of the Limitation Act 1963 के तहत प्राप्त आवेदन के आवलोकन करने एवं कालछांति बिन्दु पर विचार करने के उपरांत आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात् प्रश्नगत् मामले मे आवेदक के ओर से प्रस्तुत आवेदन/कागजातों/विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने पश्चात् पाया गया कि आवेदक सुधीर कुमार भगत ने लखीचरण राम पिता स्व0 प्रसाद राम से रजिस्ट्री पट्टा सं0 977/962 दिनांक 09.07.2019 को कय किया है इसके पूर्व रामचन्द्र भगत पिता स्व0 गुलाब भगत ग्राम एरेण्डा ने भूमि बिक्रेता के पिता प्रसाद महतो (राम) पिता स्व0 गोपाल महतो ग्राम बिरहू के हाथ

बिक्रय–पत्र लिख दिया था जिसका डीड नं0 482 दिनांक 16.09.1948 अवर निबंधन कार्यालय खूँटी में निबंधित है। इस प्रकार आवेदक ने भूमि विक्रेता का पूर्ण अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त वाले भूमि तथा नियमित सलाना मालगुजारी अदा किये जाने एवं दखलित भूमि का क्रय किया जाना नियमसंगत प्रतीत होता है। परन्तु आपतिकर्त्ता संजय रूण्डा पिता जेठा रूण्डा ने वर्णित भूमि पर किस प्रकार आपत्ति किया है स्पष्ट नहीं होता है। चूंकि आपत्तिकर्त्ता अब–तक अपने पक्ष मे किसी प्रकार का दस्तावेज न्यायालय मे उपलब्ध नहीं कराया है और न ही न्यायालय मे उपस्थित हुए है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत् भूमि पर उनका दावा किया जाना निराधार है साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने आपत्तिकर्ता के आपत्ति पर नियमानुसार सुनवाई किये वगैर नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया हैं

अतः प्रथम पक्ष के ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् दाखिल खारिज वाद संख्या – **1389**/R27/2019–2020 में दिनांक **09.03.2019** को पारित आदेश के मामले में अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निदेश दिया जाता है कि पुनः आपत्ति बिन्दु पर सुनवाई कर आपेक्षित आदेश पारित किया जाए।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.17 14:07:27 +05:30
Location: 10.93.43.4